

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 22/2015 वाद पत्र

उनवान

1-शंकरलाल पिता छोगा कुमावत नि० डांग का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1-भैरूलाल पिता छोगा कुमावत नि० डांग का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद -

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 27.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कॅम्प नाथड़ियास में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 16.03.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मोटरा का खेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2516 रकबा 0.50 हे०, 2518 रकबा 0.70 हे०, 2519 रकबा 0.27 हे०, 2520 रकबा 0.13 हे०, 2521 रकबा 0.34 हे० कुल किता 05 कुल रकबा 1.94 हे० भूमि स्थित है। उक्त आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर विभाजन करवाया जाकर वादी के 1/2 हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यू रेकार्ड में खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था। जिसकी पालना में दिनांक 27.06.2017 को तहसीलदार रायपुर द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मोटरा का खेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास के आराजी नम्बर 2516/1 रकबा 0.18 हे०, 2516/3 रकबा 0.13 हे०, 2518/1 रकबा 0.27 हे०, 2518/3 रकबा 0.17 हे०, 2519/1 रकबा 0.07 हे०, 2520/1 रकबा 0.04 हे०, 2521/1 रकबा 0.11 हे० कुल किता 07 कुल रकबा 0.97 हे० शंकरलाल पिता छोगा कुमावत सा० डांग का खेड़ा तहसील माण्डल खातेदार, आराजी नम्बर 2516/2 रकबा 0.19 हे०, 2518/2 रकबा 0.26 हे०, 2519/2 रकबा 0.20 हे०, 2520/2 रकबा 0.09 हे०, 2521/2 रकबा 0.23 हे० कुल किता 05 कुल रकबा 0.97

हे0 भैरूलाल पिता छोगा कुमावत सा0 डांग का खेड़ा तहसील माण्डल खातेदार दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।



साधुराम जाद

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

27/6/17

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 22/2015 वाद पत्र

उनवान

1-शंकरलाल पिता छोगा कुमावत नि० डांग का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1-भैरूलाल पिता छोगा कुमावत नि० डांग का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी द्वारा ग्राम मोटरा का खेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास के आराजी नम्बर 2516/1 रकबा 0.18 हे०, 2516/3 रकबा 0.13 हे०, 2518/1 रकबा 0.27 हे०, 2518/3 रकबा 0.17 हे०, 2519/1 रकबा 0.07 हे०, 2520/1 रकबा 0.04 हे०, 2521/1 रकबा 0.11 हे० कुल किता 07 कुल रकबा 0.97 हे० शंकरलाल पिता छोगा कुमावत सा० डांग का खेड़ा तहसील माण्डल खातेदार, आराजी नम्बर 2516/2 रकबा 0.19 हे०, 2518/2 रकबा 0.26 हे०, 2519/2 रकबा 0.20 हे०, 2520/2 रकबा 0.09 हे०, 2521/2 रकबा 0.23 हे० कुल किता 05 कुल रकबा 0.97 हे० भैरूलाल पिता छोगा कुमावत सा० डांग का खेड़ा तहसील माण्डल खातेदार दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

साधुराम जाट

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 27.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा